पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय/स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल

(वालिका छात्रावास के मेस संचालन हेतु ई–निविदा प्रस्तुत करने के नियम निर्देश एवं शर्ते)

1 पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल के बालिका छात्रावास में लगभग 150 छात्राओं हेतु भोजन व्यवस्था हेतु **मेस संचालन** के लिये ई–निविदा आंमत्रित की जाती है।

2 ई–निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 23.03.2020 को दोपहर 12.00 बजे तक है, तथा ई निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 23.03.2020 को सांयः 05.00 बजे तक हैं, । ई–तकनीकी निविदा महाविद्यालय में दिनांक 26.03.2020को दोपहर 02.00 बजे एवं वित्तीय निविदा दिनांक 27.03.2020को दोपहर 02.00 बजे mptender.gov.in से डाउनलोड की जावेगी। प्री–विड मीटिंग दिनांक 11.03.2020 को दोपहर 02.00 वजे आयोजित है, जिसमें समस्त निविदाकारो का उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

3. ई–निविदा विड दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है, निविदाकर्ता द्वारा कार्यादेश का कुछ भाग या पूर्ण भाग अन्य किसी ठेकेदार/व्यक्ति को नहीं सौंपेगा। यदि किसी निविदाकर्ता द्वारा किसी अन्य फर्म/व्यक्ति को कार्य सौंपता है या कार्य करता पाया जाता है तो उसका अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त कर जमा धरोहर राशि राजसात की जावेगी एवं संबंधित फर्म को Black Listed किया जायेगा जिसमें किसी भी तरह का वाद विवाद नहीं किया जावेगा तथा अगले निविदाकर्ता को कार्य आदेश दिया जावेगा।

4. इच्छुक ई–निविदाकर्ता ऑनलाइन mptender.gov.in से ई–निविदा राशि रू. 1000/– का भुगतान कर ई–निविदा प्राप्त कर सकते है जिसको mptender.gov.in पर तकनीकी एवं वित्तीय निविदा पृथक–पृथक आनलाइन सबमिट की जाना है ।

5. <u>ई.एम.डी. राशि रूपये 25000/– (रूपये पच्चीस हजार मात्र)</u> का बैक ड्राफट तथा ई–तकनीकी निविदा में अपलोड समस्त दस्तावेजो की हस्ताक्षरित प्रति तकनीकी निविदा खोले जाने की दिनांक को प्रस्तुत करना होगे । ई.एम.डी. राशि रिफन्डेवल होगी जो सफल निविदाकार की अनुबध समाप्ति के पश्चात विना व्याज के वापस कर दी जावेगी

6. निविदाकर्ता फर्म को किचन, स्टोर रूम, डायनिंग हॉल, वास एरिया में लगा फर्नीचर उपयोग करने की अनुमति दी जावेगी। <u>जिसका रू 10,000.00 (रुपये दस हजार मात्र)</u>प्रति माह मेटेनेंस शुल्क प्रदाय करना होगा ।

7 निविदाकार फर्म को कम से कम 100 व्यक्तियों की मेस संचालन का 2 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है जिसका प्रमाण पत्र तकनीकी निविदा के दस्तावेजो के साथ अपलोड करना आवश्यक है ।

8. निविदाकर्ता संस्था का बार्षिक टर्न ओवर न्यूनतम 05 लाख होना आवश्यक है जिसके साक्ष्य के रुप में विगत दो वर्षो की आयकर विवरणी की प्रति तकनीक निविदा के दस्तावेजो के साथ अपलोड करना आवश्यक है ।

9. GST पंजीयन पत्र की छायाप्रति तकनीकी निविदा के दस्तावेजो के साथ अपलोड करना आवश्यक है ।

10. पैन नंबर की छायाप्रति तकनीकी निविदा के दस्तावेजो के साथ अपलोड करना आवश्यक है।

11. **खाद्य एवं औषधि प्रशासन म0प्र** फूड्स सेफ्टी एण्ड स्टेण्डर्ड एक्ट 2006 के अनुसार निविदिकर्ता फर्म का पंजीयन होना अनिवार्य होगा । पंजीयन की प्रति तकनीकी निविदा

के दस्तावेजों के साथ अपलोड करना आवश्यक है ।

12. यह निविदा, केवल दरें निर्धारित करने हेतु जारी की जा रही है। निर्धारित दरों पर भोजन प्रदाय करने एवं उसके एवज में छात्राओ से राशि प्राप्त करने की जिम्मेदारी स्वयं भोजन प्रदायकर्ता की रहेंगी।

13. नियमानुसार GST/अन्य समस्त कर जमा करने का दायित्व निविदाकर्ता का होगा तथा GSTअन्य समस्त कर जमा संबंधी दस्तावेज (चालान की प्रति) संस्था कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।

14. जिस निविदाकर्ता की निविदा मान्य की जायेगी उसे कार्य – आदेश मिलने पर निर्धारित राशि रूपये 100.00 के स्टाम्प पेपर पर लिखित अनुबंध करना होगा, प्रधानाचार्य पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल से आदेश प्राप्त होने के उल्लेखित तिथि से भोजन व्यवस्था प्रारंभ करनी होगी।

15. भोजन व्यवस्था हेतु कार्य आदेश तिथि से एक वर्ष के लिए होगी। कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में समय पूर्व भी अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा। कार्य संतोषजनक पाये जाने पर छात्रावास समिति की अनुशंसा एवं निविदाकर्ता की सहमति के आधार पर कार्य आदेश पूर्व शर्तो के साथ आगामी एक वर्ष के लिए बढाया जा सकेगा।

16. कार्यरत कर्मचारियों का पूर्ण बायोडाटा संबंधित संस्था में प्रस्तुत करना होगा यदि किसी कार्यरत कर्मचारियों का बदलाव निविदाकर्ता द्वारा किया जाता है तो उसकी तत्काल सूचना संस्था प्रमुख को लिखित में पूर्ण दस्तावेज के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

17. निविदाकर्ता द्वारा भोजन व्यवस्था में लगाए गए कर्मचारियों से संबंधित नियमानुसार बीमा दुर्घटना क्षति पूर्ति आदि की जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी।

18. भोजन व्यवस्था से संबंधित सामग्री की गुणवत्ता/सेवा में कमी/निविदा शर्तों के उल्लंघन अथवा अन्य पर्याप्त कारणों से बिना सूचना के अनुबंध निरस्त करने का अधिकार प्रधानाचार्य पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल को होगा।

19. निविदाकर्ता को भोजन व्यवस्था संस्था द्वारा निर्धारित स्थल पर ही तैयार कर एवं संस्था की छात्रावास समिति द्वारा निर्धारित संलग्न मीनू प्रपत्र 01 एवं प्रपत्र 02 के अनुसार प्रतिदिन पृथक–पृथक नाश्ता व भोजन उपलब्ध कराना होगा, भोजन अथवा नास्ता बाहर से पका हुआ नहीं परोसा जायेगा।

20. भोजन के लिए प्रयुक्त सामग्री मानक स्तर संलग्न सूची अनुसार (प्रतिष्ठित ब्राण्ड/एगमार्क/आईएसआई) की होना अनिवार्य है जिसका आकस्मिक निरीक्षण संस्था की छात्रावास समिति द्वारा किया जा सकेगा। भोजन की गुणवत्ता में कमी पाई जाने पर समिति की अनुशंसा पर तत्काल अनुबंध समाप्त कर नई व्यवस्था की जावेगी।

21. सब्जियाँ ताजी होना चाहिये जिसका निरीक्षण समिति द्वारा किया जावेगा। भोजन एवं नाश्ता प्रतिदिन ताजा तैयार कर प्रदाय करना होगा, बचे हुए नाश्ता भोजन का उपयोग किसी भी परिस्थिति में आगामी दिवस अथवा लंच का डिनर में उपयोग मान्य नहीं होगा।

22. भोजन व्यवस्था में उपयोग किये जा रहे बर्तन प्लेट चम्मच कटोरी गिलास इत्यादि की व्यवस्था निविदाकर्ता को स्वयं करनी होगी एवं सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा। भोजन प्रबंध समिति द्वारा आकस्मिक निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की अस्वच्छता या खराव सामग्री पाई जाने पर छात्रावास समिति की अनुशंसा पर निविदाकर्ता पर समुचित आर्थिक दण्ड रूपये 2000/– तक लगाया जा सकेगा।

23. रसोई गैस (वाणिज्यक/कमर्शियल) चुल्हाभटटी आदि की व्यवस्था एवं उनसे संबंधित सुरक्षा निविदाकर्ता को स्वयं करनी होगी। (लकड़ी,चूल्हा एवं हीटर पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा) भोजन निर्माण से लेकर छात्राओं को भोजन परोसने की समस्त व्यवस्था निविदाकर्ता को स्वयं करना होगी।